रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1426]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2006/अग्रहायण 7, 1928
No. 1426]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2006/AGRAHAYANA 7, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2006

आय-कर

का.आ. 2039(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम, विरचित करती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना ।

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम, 2006 है ।

(2) यह, 1 दिसंबर, 2006 को प्रवृत्त होगी ।

(3) इस स्कीम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह सभी पात्र व्यक्तियों पर लागू होगी ।

परिभाषाएं ।

2. इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, अभिप्रेत है;

(ग) "पात्र व्यक्ति" से किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के रूप में कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "भागीदार संगठन" से, इस स्कीम के अधीन, कोई संगठन या अभिकरण, जो बोर्ड द्वारा चयनित किया गया है और जिसके साथ बोर्ड द्वारा कोई करार किया गया है,

या भागीदार संगठन के रूप में कार्य करने के लिए साधन केन्द्र द्वारा उसको प्राधिकृत किया है, अभिप्रेत है ;

(ङ) "साधन केन्द्र" से, इस स्कीम के अधीन साधन केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित आयकर निदेशालय, अभिप्रेत है ;

(च) "कर विवरणी तैयारकर्ता" से ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है, जिसको इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार आय विवरणीयां तैयार करने के व्यवसाय को चलाने के लिए भागीदार संगठन द्वारा इस स्कीम के पैरा 4 के खंड (viii) के अधीन एक "कर विवरणी तैयारकर्ता प्रमाणपत्र" और एक "अनन्य पहचान संख्या" जारी की गई है :

परन्तु कोई व्यक्ति, "कर विवरणी तैयारकर्ता" के रूप में कार्य करने के लिए हकदार नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति जो–

(i) धारा 288 की उपधारा (2) के खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) में निर्दिष्ट है ; या

(ii) "वेतन" शीर्ष के अधीन आय-कर के लिए प्रभारित किसी नियोजन और आय के अंतर्गत है ;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

कर विवरणी तैयारकर्ताओं के लिए शैक्षिक अर्हता ।

3. ऐसा कोई व्यष्टि, जो किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से, कारबार प्रशासन या प्रबंधन या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या विधि या गणित या सांख्यिकी के क्षेत्र में कोई स्नातक डिग्री रखता है, कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होगा ।

कर विवरणी तैयारकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का नामांकन, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण ।

4. कोई भागीदार संगठन, कर विवरणी तैयारकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों के नामांकन, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा, अर्थात्, यह,-

(i) अपेक्षित शैक्षिक अर्हता रखने वाले उन भारतीय नागरिकों से, जो कर विवरणी तैयारकर्ताओं के रूप में कार्य करने की वांछा करते हैं, आवेदन आमंत्रित करेगा :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी आयु, आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले दिन से ठीक पूर्ववर्ती एक अक्तूबर को पैंतीस वर्ष से अधिक है, आवेदन करने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जब तक कि किसी आवेदन के साथ एक सौ रुपए की फीस संलग्न नहीं की जाती है, वह अविधिमान्य होगा ;

(ii) कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से, आवेदन में उन केन्द्रों को, जहां उसको प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, वरीयता से उपदर्शित करने की, अपेक्षा करेगा ;

(iii) बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, साधन केन्द्र द्वारा अधिकथित मानदंड के अनुसार, ऐसे प्राप्त आवेदनों को छांटेगा और उनके नामांकन के लिए, परीक्षण में उपस्थित होने के लिए व्यक्तियों का चयन करेगा ;

(iv) उन व्यक्तियों के, जो छांटने पर चयनित किए गए हैं, नामांकन के लिए परीक्षण करेगा ;

(v) उन व्यक्तियों को (पृथक रूप से प्रशिक्षण के प्रत्येक केन्द्र के लिए), जो नामांकन के लिए परीक्षण में अर्हित हुए हैं, नामांकित करेगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति तब तक नामांकित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह भागीदार संगठन के पास एक हजार रुपए जमा नहीं कर देता है ;

(vi) साधन केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे नामांकित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित करेगा ;

(vii) प्रशिक्षण के पूर्व होने के पश्चात्, साधन केन्द्र द्वारा यथा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, नामांकित व्यक्तियों की परीक्षा का संचालन करेगा ;

(viii) उन व्यक्तियों को जो, ऐसी संचालित की गई परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, एक "कर विवरणी तैयारकर्ता प्रमाणपत्र" और एक "अनन्य पहचान संख्या" जारी करेगा ;

(ix) ऐसी संचालित की गई परीक्षा में सफल घोषित किए गए व्यक्तियों से प्राप्त जमा (उस पर किसी ब्याज के बिना), प्रतिदाय करेगा ।

कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा आय की विवरणी तैयार करना और प्रस्तुत करना ।

5.(1) कोई पात्र व्यक्ति, अपने विकल्प पर, किसी कर विवरणी तैयारकर्ता के द्वारा तैयार करवाने के पश्चात् किसी निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी किसी कर विवरणी तैयारकर्ता के द्वारा तैयार और प्रस्तुत नहीं होगी, यदि-

(i) कोई पात्र व्यक्ति, किसी ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, जो ऐसे निर्धारण वर्ष से सुसंगत है, कारबार या व्यवसाय चला रहा है और उस पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कारबार या व्यवसाय के ऐसे लेखे जो अधिनियम की धारा 44कख के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित है ; या

(ii) कोई पात्र व्यक्ति, जिसने किसी ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, जो ऐसे निर्धारण वर्ष से सुसंगत है, भारत में निवास नहीं किया है :

परन्तु यह और कि कोई पात्र व्यक्ति, तब तक किसी कर विवरणी तैयारकर्ता के द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) के अधीन आय की कोई संशोधित विवरणी प्रस्तुत नहीं करेगा जब तक कि वह, ऐसे या किसी अन्य कर विवरणी तैयारकर्ता के द्वारा उस निर्धारण वर्ष के लिए आय की आरंभिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है :

परन्तु यह भी कि आय की कोई विवरणी, जो अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) या धारा 148 या धारा 153क के अधीन किसी सूचना के उत्तर में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित है, किसी कर विवरणी तैयारकर्ता के द्वारा तैयार और प्रस्तुत नहीं होगी ।

(2) कर विवरणी तैयारकर्ता, आय की विवरणी तैयार करेगा और संबद्ध निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को या किसी अन्य अधिकारी या अभिकरण को, जैसा बोर्ड के अनुमोदन से साधन केन्द्र द्वारा निदेशित किया जा सके, प्रस्तुत करेगा और संबद्ध पात्र व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की अभिस्वीकृति सौंपेगा ।

पात्र व्यक्ति के कर्तव्य और बाध्यताएं ।

6. इस स्कीम के अधीन आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत करने का विकल्प करने वाला व्यक्ति-

(i) सुनिश्चित करेगा कि आय की उसकी विवरणी, इस स्कीम के अधीन आती है ;

(ii) किसी निर्धारण वर्ष के लिए, आय की उसकी विवरणी तैयार करने के लिए किसी कर विवरणी तैयारकर्ता के पास जाएगा और अपनी सहमति देगा ;

(iii) विवरणी को सत्यापित करने और हस्ताक्षरित करने से पूर्व, सुनिश्चित करेगा कि विवरणी में वर्णित तथ्य सही और ठीक हैं ;

(iv) उस रकम को, जो इस स्कीम के अधीन, अपनी आय की विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कर विवरणी तैयारकर्ता को, संदत्त की गई है, प्रमाणित करेगा ;

(v) कर विवरणी तैयारकर्ता को किए गए संदाय की रसीद लेगा और यदि अपेक्षित हो तो, उसे साधन केन्द्र या भागीदार संगठन या निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

कर विवरणी तैयारकर्ता के कर्तव्य और बाध्यताएं ।

7. कर विवरणी तैयारकर्ता-

(i) सम्यक् तत्परता से विवरणी तैयार करेगा ;

(ii) उसके द्वारा तैयार की गई विवरणी पर अपने हस्ताक्षर करेगा ;

(iii) संबद्ध निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को या किसी ऐसे अन्य अधिकारी या अभिकरण को बोर्ड के अनुमादेन सहित साधन केन्द्र द्वारा जैसा निदेशित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

(iv) उस व्यक्ति को, जिसकी विवरणी उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई है, विवरणी की एक प्रति सौंपेगा ;

(v) विवरणी प्रस्तुत करने की अभिस्वीकृति की एक प्रति रखेगा ;

(vi) एक मास के दौरान उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई विवरणियों के संबंध में, निम्नलिखित का अभिलेख रखेगा, अर्थात् :–

(क) उस निर्धारिती का नाम जिसकी आय की विवरणी उस मास के दौरान उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई है ;

(ख) ऐसे निर्धारिती का स्थायी लेखा संख्या ;

(ग) निर्धारण वर्ष ;

(घ) विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख ;

(ङ) अभिस्वीकृति संख्या ;

(च) निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता ;

(छ) विवरणी में घोषित आय की रकम ;

(ज) संदेय कर की रकम ;

(झ) संदत्त कर की रकम ;

(ञ) इस स्कीम के पैरा 9 के उपपैरा (1) के अधीन, उसमें वर्णित उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए, उसको संवितरित रकम ;

(ट) इस स्कीम के पैरा 9 के उपपैरा (2) के अधीन उसके द्वारा प्रभारित और प्राप्त फीस ;

(vii) साधन केन्द्र को प्रत्येक मास के लिए, ठीक पश्चात्वर्ती मास के सातवें दिन से पूर्व, मद (vi) में वर्णित व्यष्टियों का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

भागीदार संगठन का चयन और उत्तरदायित्व ।

8.(1) बोर्ड, स्कीम के निर्बाध कार्यान्वयन में साधन केन्द्र से भागीदारी करने के लिए किसी भागीदार संगठन का चयन करेगा ।

(2) भागीदार संगठन, साधन केन्द्र के समग्र मार्गदर्शन और नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा और स्कीम के कार्यान्वयन के विषय में, समय-समय पर साधन केन्द्र द्वारा उसको जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेगा ।

(3) भागीदार संगठन, उन क्रियाकलाप को, जो इस स्कीम के पैरा 4 के अधीन कार्यान्वित करने के अपेक्षित है, कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) भागीदार संगठन, कर विवरणी तैयारकर्ताओं के प्रशिक्षण के दौरान उनकी पार्श्विका का अनुरक्षण करेगा और कर विवरणीकर्ता के रूप में उनके संपादन को मानीटर करेगा ।

(5) भागीदार संगठन, स्कीम के अधीन कर विवरणी तैयारकर्ता को प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए उत्तरदायी होगा ।

(6) भागीदार संगठन अपने कृत्यों का, साधन केन्द्र के समाधान होने तक, पालन करेगा ।

(7) बोर्ड, साधन केन्द्र की सिफारिश पर, भागीदार संगठन से करार समाप्त कर सकेगा और यदि उसकी राय में, कोई भागीदार संगठन अपने कृत्यों को उचित रूप से पालन करने में असफल हो चुका है, तो वह-

(i) किसी अन्य भागीदार संगठन से कोई करार कर सकेगा ; या

(ii) साधन केन्द्र को इसके कृत्य समनुदेशित कर सकेगा ।

कर विवरणी तैयारकर्ता को प्रोत्साहन ।

9.(1) बोर्ड, किसी साधन केन्द्र या भागीदार संगठन को कर विवरणी तैयारकर्ता के लिए, निम्नलिखित रकम संवितरित करने को प्राधिकृत कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) पहले उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में, जो उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई है, घोषित आय पर संदत्त कर का तीन प्रतिशत ;

(ख) दूसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में, जो उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई है, घोषित आय पर संदत्त कर का दो प्रतिशत ;

(ग) तीसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में, जो उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई है, घोषित आय पर संदत्त कर का एक प्रतिशत ;

परन्तु किसी पात्र व्यक्ति के संबंध में किसी उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए संवितरण की रकम, एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि, जहां किसी कर विवरणी तैयारकर्ता के द्वारा पहले उपयुक्त निर्धारण वर्ष या दूसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की उसकी विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् कोई पात्र व्यक्ति किसी अन्य कर विवरणी तैयारकर्ता के द्वारा, यथास्थिति, दूसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष या तीसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करता है वहां अन्य कर विवरणी तैयारकर्ता को संवितरित रकम की संगणना, यथास्थिति, दूसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष या तीसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए लागू दरों पर होगी ।

(2) कर विवरणी तैयारकर्ता, किसी निर्धारण वर्ष के लिए, आय की उसकी विवरणी तैयार करने या प्रस्तुत करने के लिए, पात्र व्यक्ति से उस निर्धारण वर्ष के लिए दो सौ पचास रुपए की फीस प्रभारित करेगा :

परन्तु किसी उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए, पात्र व्यक्ति से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी यदि उस उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए उपपैरा (1) के अधीन संवितरित रकम, दो सौ पचास रुपए से अधिक है :

परन्तु यह और कि यदि, जहां किसी उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए, उपपैरा (1) के अधीन संवितरित रकम, दो सौ पचास रुपए से अधिक नहीं है वहां कर विवरणी तैयारकर्ता, पात्र व्यक्ति से, उस उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी रकम की कोई फीस, जिससे उपपैरा (1) के अधीन संवितरण योग्य रकम से दो सौ पचास रुपए से अधिक हो, प्रभारित होगी ।

(3) उपपैरा (1) के अधीन किसी कर वितरण तैयारकर्ता को देय संवितरण, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रसंस्कृत करने के पश्चात् होगा ।

(4) बोर्ड, उपपैरा (1) के अधीन संवितरण करने से संबंधित उपबंधों को, बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी समय, परिवर्तित या उनका लोप कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :—इस पैरा के प्रयोजनों के लिए—

(i) किसी पात्र व्यक्ति के संबंध में-

(क) "पहला उपयुक्त निर्धारण वर्ष" से ऐसा कोई निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जो किसी पात्र व्यक्ति ने ऐसे निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती तीन निर्धारण वर्ष या तीन से अधिक निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ;

(ख) "दूसरा उपयुक्त निर्धारण वर्ष" से पहले निर्धारण वर्ष से ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "तीसरा उपयुक्त निर्धारण वर्ष" से दूसरे निर्धारण वर्ष से ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ;

(ii) किसी उपयुक्त निर्धारण वर्ष के संबंध में "संदत्त कर" से अग्रिम कर, स्रोत पर काटा गया या संग्रहीत किया गया कर या स्वतःनिर्धारण पर संदत्त कर (जिसमें अधिभार और शिक्षा उपकर सम्मिलित है), अभिप्रेत है किन्तु जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :--

(i) धारा 234क या धारा 234ख या धारा 234ग के अधीन किसी पात्र व्यक्ति द्वारा संदत्त कोई ब्याज, यदि कोई हो ; या

(ii) कोई रकम, जो धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी पात्र व्यक्ति को प्रतिदेय है ।

कर विवरणी तैयारकर्ता से संबंधित विशिष्टियों का अनुरक्षण ।

10. (1) साधन केन्द्र, प्रत्येक कर विवरणी तैयारकर्ता के संबंध में, उन विशिष्टियों का, जो उसके संपादन का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हों, अनुरक्षण करेगा ।

(2) साधन केन्द्र, समय-समय पर, कर विवरणी तैयारकर्ता को अनुदेश जारी कर सकेगा ।

कर विवरणी तैयारकर्ता को दिए गए प्रमाणपत्र का वापस लिया जाना ।

11. (1) साधन केन्द्र, स्वयं, किसी कर विवरणी तैयारकर्ता को उसके कार्य में कमियों और उसके अवचार के विषय में चेतावनी देगा या आय-कर नियम, 1962 के नियम 52 में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी की सिफारिश पर ऐसा कर सकेगा और निम्नलिखित ऐसी कमियों या अवचार के कारण, जिनका ऐसी कार्रवाई के लिए समुचित आधार हो, किसी कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रमाणपत्र के रद्दकरण के लिए कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात्, यदि वह,-

(i) किसी निर्धारिती को विवरणी की एक प्रति देने में असफल होता है ;

(ii) कोई विवरणी तैयार करता है किन्तु उस पर अपने हस्ताक्षर करने में असफल होता है ;

(iii) अपने द्वारा तैयार की गई किसी विवरणी में अपना नाम और अनन्य पहचान संख्या प्रस्तुत करने में असफल होता है ;

(iv) अपने द्वारा तैयार विवरणी में, सही रूप से, निर्धारिती द्वारा उसको उपलब्ध कराई गई किसी सूचना को प्रविष्ट कराने में असफल रहता है ;

(v) अपने द्वारा तैयार विवरणी में, आय की गणना से संबंधित दुहराई गई भूलें करता है ;

(vi) पैरा 9 के उपपैरा (1) के अधीन संवितरण के लिए, कोई दोषपूर्ण या कपटपूर्ण दावा करता है ;

(vii) किसी वित्तीय अनियमितता, कूटरचना या कपट में लगा हुआ है ;

(viii) जानबूझकर, किसी विवरणी में आय या उस पर कर दायित्व को न्यून कथित करने का प्रयत्न करता है ;

(ix) किसी ऐसी अन्य अनियमितता में, जो आयकर मुख्य आयुक्त या आयुक्त की राय में, प्रकृति से गंभीर है, अंतर्ग्रस्त है ;

(x) समय-समय पर साधन केन्द्र द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में असफल होता है ;

(xi) समय-समय पर साधन केन्द्र द्वारा यथाअपेक्षित अपने कौशल को उन्नत करने में असफल रहता है ; या

(xii) इस स्कीम के पैरा 4 के खंड (viii) के अधीन उसको, कर विवरणी तैयारकर्ता प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति हो जाता है या "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभारित कोई नियोजन आय लेता है ।

(2) कोई कर विवरणी तैयारकर्ता, ऐसी हैसियत से कार्य करना चालू रख सकेगा, जब तक कि-

(i) साधन केन्द्र द्वारा, इस स्कीम के पैरा 4 के खंड (viii) के अधीन उसको जारी किया गया कर विवरणी तैयारकर्ता प्रमाणपत्र निलंबित नहीं कर दिया जाता है या वापस नहीं लिया जाता है ; या

(ii) यह स्कीम, बोर्ड द्वारा वापस ली जाती है ।

साधन केन्द्र के उत्तरदायित्व और कृत्य ।

12. (1) साधन केन्द्र, इस स्कीम के दैनंदिन प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) साधन केन्द्र के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(i) बोर्ड के पूर्व अनुमोदन सहित निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करना,-

(क) कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने को, प्रशिक्षण के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ;

(ख) प्रशिक्षण के लिए केन्द्रों की संख्या और उनकी अवस्थिति, जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना है ;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक केन्द्र पर प्रशिक्षित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ;

(ii) कर विवरणी तैयारकर्ताओं के प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम और अन्य विषयों को विनिर्दिष्ट करना ;

(iii) इस स्कीम के पैरा 10 में यथा अपेक्षित कर विवरणी तैयारकर्ताओं से संबंधित विशिष्टियों का अनुरक्षण ;

(iv) कोई अन्य कृत्य, जो बोर्ड द्वारा, स्कीम के क्रियान्वयन के प्रयोजनों के लिए उसको समनुदेशित किए जाएं ।

[अधिसूचना सं. 358/2006/फा. सं. 142/42/2006-टीपीएल]

शरत चन्द्र, निदेशक